78

बअदालत :–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बईजलास :–रामरख मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:–345/2016

1. अरविन्द कुमार | पिसरान राजेन्द्र कुमार जाति जाट सकिन ढाबा तहसील संगरिया
2. अमित कुमार | जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट सा. ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सन्नू पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी.बैक शाखा संगरिया
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

घोषणा वाद हेतु

उपस्थित:–

1. श्री बलवीर सिहाग एडवोकट –वादीगण
2. श्री बद्रीनारायण जाखड़ – प्रतिवादीगण

दिंनाक:– 12/5/17

निर्णय

वाद– पत्र के सक्षिप्त तथ्य प्रकार से है कि वादीगण कि पिता प्रतिवादी सं. 1. के नाम से चक नं. 7 बी.जी.पी कि खाता 41/42 में 4.238 है. मय गै.मु. एंव चक 9 बी.जी.पी.–बी के खाता सं. 75/48 में 2.530 है. मय गै.मु. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त सम्पति हमारी विरास्तन कृषि भूमि है। जमाबन्दी सलंग्न वाद–पत्र है। कि वादीगण एंव प्रतिवादी ने काफी अरसा पूर्व घरू बटवारानुसार कृषि भूमि अलग–अलग कर काश्त कर रखी है। उक्त कृषि भूमि हमारी विरास्तन कृषि भूमि है जिसकी घोषणा करवाने के हम हकदार एंव अधिकारी है। कि वादीगण के हिस्सा में आई कृषि भूमि चक 9 बी.जी.पी.–बी के खाता सं. 75/48 में 2.530 है. ब.हि.ब तथ्य शेष कृषि भूमि प्रतिवादी के हिस्सा में आई है। कि वादीगण ने पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे वादीगण वाद–पत्र चरण सं. 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लेवे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे। प्रतिवादी पहले तो टाल–मटोल करते रहे किन्तु अन्त में वे वादीगण के इस न्यायोचित निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की वास्ते तलबी सामाचार पत्रों में सम्मन साया करवाये गये। प्रतिवादी सं. 1 व 2 इकबालदावा एवं प्रतिवादी संख्या 4 का जवाबदावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

गया प्रतिवादी सं. 3 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी अरविन्द्र कुमार का शपथ–पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश हुआ जो शामील पत्रावली किया गया। साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की जाती है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है एवं प्रकरण में विरोधाभास नहीं होने के कारण वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया। तथा मेरे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए इकबालदावा/जवावदावा व पत्रावली एंव रिकार्ड का अवलोकन एंव मनन करने के वाद वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उक्त के आधार पर वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है कि चक 9 बी.जी.पी.–बी के खाता सं. 75/48 में 2.530 है. ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एंव प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/4/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरख मीना)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रकिया संहिता

बअदालत :–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

बईजलास :–रामरख मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:–345/2016

1. अरविन्द कुमार
2. अमित कुमार

पिसरान राजेन्द्र कुमार जाति जाट सकिन ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट सा. ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सन्नू पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी.बैक शाखा संगरिया
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री बलवीर सिहाग वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री बद्रीनारायण जाखड़ वकील पेश होकर डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया चक नं. चक 9 बी.जी.पी.–बी के खाता सं. 75/48 में 2.530 है. ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एंव प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो बैक ऋण चुकता का प्रमाण–पत्र पेश करने पर ही अमल दरामद किया जावे।

निज......निल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें के मय शद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12/5/17 को जारी किया गया।

(रामरख मीना)

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया